

C.No 121/2012 अनवान कानाराम v/s महावीर

वकील आर्ची की ओर से एक आर्चना पत्र वाकले पत्रावली को नियत तिथि से पूर्व तालब किये जाने बाबर पेश किया गया जिस पर वकील आर्ची को सुना गया तथा पत्रावली नियत तिथि से पूर्व तालब की गई। वकील आर्ची ने अरिजे राजीनामा का पत्र के निवेदन किया कि इस्लाम अकरण से आर्ची एवं अपाथिगिण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है वे अब परस्पर कोई भी कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः अमान से निवेदन है कि अकरण को राजीनामे में खारिज करने की छपा करे। हमारे द्वारा वकील आर्ची को सुना गया। राजीनामा की सहमति से आर्ची द्वारा हस्ताक्षर अंकन किये गये तथा वकील आर्ची द्वारा आदेशिका पर Not Press का अंकन किया गया। अतः आर्ची का आर्चना पत्र इसी स्तर पर राजीनामे के आधार पर खारिज किया जा रहा है। पत्रावली के सल शुमार होकर नम्बर से कम है।

कानाराम
Not Press by me
P. J. Singh

उपखण्ड अधिकारी
बाराई (अजमेर)